

# न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 130/2022

तारीख दायर :-04.03.2022

दिनांक निर्णय :-15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.लक्ष्मी देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

2022  
29

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायल लक्ष्मी देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति मीना निवासी भजेड़ा ने वाके ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के आ0ख0न0 157 रकबा 0.40 हे0 पर सरसो की फसल काशतकर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से कृष्ण कुमार (भतिजा) उपस्थित आया। गैरसायल की ओर से नोटिस का जवाब व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायल के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है, साथ ही सरह लगान के 1.60 रु की 50 गुणा राशि 80/-रु पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जे राज लेकर, निलामी कार्यवाही कर वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बाबूलाल मीना)

तहसीलदार राजगढ़  
तहसीलदार  
जिला अलवर  
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 06 पृष्ठ संख्या 80/-  
राशि कायम किये गये।

पिबठ  
त. रा. लेखाकार